न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–60/2011 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. उदयराम पुत्र स्व0 बंकल उर्फ काला जाति चमार निवासी ग्राम गून्दपुर तहसील व जिला अलवर राज0 ।

.....अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश अलवर ।
2. तहसीलदार (भू.अ.) अलवर

..... असल रेस्पोडेन्ट

3. बृजमोहन पुत्र स्व0 बंकल उर्फ काला जाति चमार निवासी गून्दपुर तहसील व जिला अलवर ।
4. चम्मो पुत्री स्व0 बंकल उर्फ काला पत्नि रामसिंह चमार निवासी ग्राम सालमपुर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर हाल वासी ग्राम गून्दपुर तहसील व जिला अलवर।
5. पन्नालाल – मृतक
   5/1. भैरू पुत्र पन्नालाल,
   5/2. अमर पुत्र पन्नालाल,
   5/3. केवल पुत्र पन्नालाल,
   5/4. श्रीमती बंशी बेवा पन्नालाल
6. बालाराम पुत्र कजोड़ी
7. लालाराम पुत्र कजोड़ी,
8. किशन पुत्र कजोड़ी,
9. भूंली पुत्री कजोड़ी जाटव निवासीयान ग्राम गून्दपुर तहसील व जिला अलवर ।
10. मलूकी बेवा कजोड़ी वाके ग्राम गून्दपुर तहसील व जिला अलवर राज0 – मृतक
11. लालजी पुत्र नहना जाति जाटव निवासी ग्राम गून्दपुर तहसील व जिला अलवर राज0 – मृतक
    11/1. रामप्यारी बेवा लालजी,
    11/2. प्यारेलाल पुत्र स्व0 लालजी,
    11/3. प्रकाश पुत्र निवास पोत्र स्व0 लालजी जाति जाटव वाके ग्राम गून्दपुर तहसील व जिला अलवर ।
12. बल्लू पुत्र नहना चमार वाके ग्राम गून्दपुर तहसील अलवर – मृतक
    12/1. श्रीमती विमला बेवा स्व0 बल्लू चमार,
    12/2. दीपक पुत्र स्व0 बल्लू चमार निवासी ग्राम गून्दपुर तहसील व जिला अलवर

13. बटली पत्नि रामलीलाल – मृतक
13/1. लल्लू पुत्र रामजीलाल,
13/2. जयसिंह पुत्र रामजीलाल,
13/3. जसवंत पुत्र रामजीलाल,
13/4. रणजीत पुत्र रामजीलाल वारिसान स्व0 बटली जातियन जाटव निवासीयान ग्राम खुदनपुरी तहसील व जिला अलवर ।
14. घोटी पुत्री हरली,
15. घोटी पुत्री हरली
16. फूला पुत्री हरली,
17. बुद्धा पुत्रियान हरली जातियान जाटव निवासीयान ग्राम गून्दपुर तहसील व जिला अलवर ।
18. किशना पुत्र छाजू निवासी ग्राम गून्दपुर तहसील अलवर – मृतक
18/1. चेतराम पुत्र स्व0 किशना,
18/2. प्यारेलाल पुत्र स्व0 किशना,
18/3. हीरालाल पुत्र स्व0 किशना,
18/4. सुमोती पुत्री स्व0 किशना,
18/5. केसर पुत्री स्व0 किशना,
18/6. पानबाई पुत्री स्व0 किशना,
18/7. केशन्ता पुत्रीयान स्व0 किशना जाटव निवासीयान वाके ग्राम गून्दपुर तहसील व जिला अलवर राज0 ।

..... तरतीबी रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री संजीव जैन अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री गणपतसिंह नरूका राजकीय अभिभाषक असल रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–15.11.2017

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी अलवर के निर्णय व डिक्री दिनांक 08.03.2011 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद घोषणात्मक व दुरूस्ती इन्द्राज इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी साबिक ख0 नं0 177 मिन रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा जिसके सम्वत् 2020 में 413 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा व सम्वत् 2058 में 679 रकबा 0.20 है0, 680 रकबा 0.15 है0, 681 रकबा 0.12 है0, 682 रकबा 0.11 है0, 683 रकबा 0.08 है0, 684 रकबा 0.09 है0, 685 रकबा 0.08 है0, 686 रकबा 0.14 है0, 687 रकबा 0.17 है0, 688 रकबा 0.13 है0 कुल किता 10 कुल रकबा 1.27 है0 वाके ग्राम गूंदपुर तहसील व जिला अलवर में स्थित है । उक्त आराजी साबिक ख0 नं0 177 मिन रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा जिसके सम्वत् 2020 में 413 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा तथा सम्वत् 2058 में 679 रकबा 0.20 है0, 680 रकबा 0.15 है0, 681 रकबा 0.12 है0, 682 रकबा 0.11

15/11/17

है0, 683 रकबा 0.08 है0, 684 रकबा 0.09 है0, 685 रकबा 0.08 है0, 686 रकबा 0.14 है0, 687 रकबा 0.17 है0, 688 रकबा 0.13 है0 कुल किता 10 कुल रकबा 1.27 है0 में वादी व तरतीबी प्रतिवादी सं0 3 व 4 पिता बंकल उर्फ काला का 1/4 हिस्सा कब्जा काश्त खातेदारी का होने के बाद उनकी मृत्यु हो जाने के कारण मिन वादी व तर0 प्रतिवादी सं0 3 व 4 तथा उनके विधिक वारिसान व जायन्दा पुत्रान व पुत्रिया होने के कारण तर. प्रतिवादी सं0 4 द्वारा अपना हक व अधिकार वादी व तर0 प्रतिवादी सं0 3 के हक में तर्क कर दिये जाने से मिन वादी व तर0 प्रतिवादी सं0 3 को प्रश्नगत आराजीयात के 2/8 हिस्से का कब्जे काश्त खातेदार घोषित किया जाकर विरासतन इन्तकाल मिन वादी व तर0 प्रतिवादी सं0 4 के नाम सालिम में खोला व मंजूर किया जाकर राजस्व अभिलेख में अमल कराये जाने का अहकाम असल प्रतिवादी सं0 1 व 2 को जारी किया जाकर दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर वादी का वाद दि0 08.03.2011 को खारिज कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दि0 08.03.2011 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में कथन किया कि तहत न्यायालय द्वारा वादी/अपीलार्थी के वाद को खारिज करने का कोई सुसंगत व न्यायोचित कारण दर्शित नहीं किया गया है । केवल इस तथ्य को अंकित किया है कि वादी द्वारा सम्वत् 2058 का कोई मिलान क्षेत्रफल पेश नहीं किया गया है जबकि वादी/अपीलार्थी द्वारा साबिक व हाल नम्बरान अपने वाद में अंकित कर दिये गये और इस बाबत किसी प्रकार का विवाद नहीं था और ना ही इस बाबत पैरोकार सरकार द्वारा कोई उज्र किया गया था ।

बहस में अभिभाषक अपीलांट ने आगे कहा कि उन्हें रेकार्ड व साक्ष्य प्रस्तुत करने का तहत न्यायालय द्वारा कोई मौका नहीं दिया गया जो अब इस न्यायालय में आदेश 41 नियम 27 के साथ रेकार्ड प्रस्तुत किये जा रहे हैं ।

उन्होंने आगे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने यह भी दर्शित किया कि सम्वत् 2034 वाके गूंदपुर अनुसार ख0 नं0 1/4 हिस्सा नहना पुत्र खैराती, 1/4 हरली स्त्री चतरा, 1/4 हिस्सा किशन पुत्र छाजू व 1/4 हिस्सा कला पुत्र टुन्डा चमार खातेदारान दर्ज है जबकि जमाबन्दी में मृतक बंकल उर्फ काला के नाम का कोई इन्द्राज नहीं है । वादी/अपीलार्थी इस तथ्य को स्पष्ट करके चला है कि वादी/अपीलार्थी के पिता बंकल उर्फ काला का नाम रेकार्ड में सहवन व त्रुटिपूर्वक राजस्व कर्मचारियों द्वारा कला पुत्र टुन्डा दर्ज कर दिया गया ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त विवादित निर्णय व डिक्री कयासिया तौर पर मनमाना पारित किया गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आदेश पारित करने से पूर्व दावा व जवाब दावा के आधार पर तनकीयात कायम की जानी चाहिए थी और तनकीयान का बिन्दुवार निर्णय पारित किया जाना चाहिए था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त गलत तरीके से विधि विरूद्ध व मनमाना निर्णय पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य

है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए प्रकरण को तहत न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने की इस्दुआ की ।

प्रतिउत्तर में पेरोकार सरकार ने जाहिर किया साबिक ख0 नं0 177 मिन रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा से बन्दोबस्त सम्वत् 2020 में ख0 नं0 413 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा बनाया है लेकिन बन्दोबस्त सम्वत् 2051 में हुआ था जिसका रेकार्ड मिलान क्षेत्रफल तहत न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है । जमाबन्दी सम्वत् 2034 में खेवट सं0 42 के बारे में कथन किया है जिसमें काला पुत्र टुण्डा कौम चमार सा0देह खातेदार हिस्सा अनुसार आराजी ख0 नं0 413 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा पर दर्ज है । तहत न्यायालय में वादी/अपीलांट द्वारा मिलान क्षेत्रफल पेश नहीं किये जाने के कारण इनका दावा सही खारिज किया गया है । इसलिए अपीलांट की अपील खारिज योग्य है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री सही है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा तहत न्यायालय में पेश वाद के तथ्यों तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दि0 08.03.2011 का अवलोकन किया गया । अपीलांट की अपील के तथ्यों का अवलोकन किया गया । उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया ।

अपीलाट अभिभाषक का मुख्य कथन ये रहा है कि उसे रेकार्ड पेश करने तथा साक्ष्य पेश करने का मौका नहीं दिया गया । अपीलांट द्वारा साबिक रेकार्ड इस न्यायालय में आदेश 41 नियम 27 के साथ पेश किया है । अतः जब तक साबिक रेकार्ड का अवलोकन नहीं हो तथा साक्ष्य व मौका नहीं मिले वाद वादी खारिज करना गलत था । अधीनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि वह वादी/अपीलार्थी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करना चाहिए था और दावे व जवाब दावे के आधार पर वाद में तनकीयान कायम कर उनका विस्तृत विवेचन करते हुए गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करना चाहिए था किन्तु तहत न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं कर त्रुटिपूर्ण निर्णय व डिक्री पारित की है जो अपास्त किये जाने योग्य है और प्रकरण तहत न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का मोहताज है ।

अतः उपरोक्त आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है तथा तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर के निर्णय व डिक्री दि0 08.03.2011 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण विद्वान तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे वादी/अपीलार्थी को साबिक रेकार्ड व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए एवं पुनः गुणावगुण के आधार पर उचित निर्णय पारित करें । खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 15.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

15/11/17

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर